



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 26.05.2026

- थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में, अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 26.05.2026 को थाना बरौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सचिन कुमार उर्फ गोलू पुत्र रविशंकर शंखवार निवासी ग्राम अगदपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को रामजी शुक्ला के मकान के आगे खरान्जे पर ग्राम अगदपुर से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बरौर पर मु0अ0सं0 44/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सचिन कुमार उर्फ गोलू उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र रविशंकर शंखवार निवासी ग्राम अगदपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली थाना बरौर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री श्याम सिंह
2. हे0का0 योगेन्द्र सिंह
3. का0 हिमांशू यादव